न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू

बइजलास :– गोपाल परिहार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 01/2025 जीसीएमएस नम्बर 2025/8

1. रामेश्वर पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
2. हीरालाल पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
3. बनवारी पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
4. सत्यनारायण पुत्र भंवरलाल जाति माली निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. शांति देवी पत्नी भंवरलाल जाति माली निवासी बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

(अपीलार्थी)

बनाम

1. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. चतुरभाई पुत्र परमार छितू भाई
3. मुकेश भाई पुत्र परमार छितू भाई
4. मणिबेन पत्नी परमार छितू भाई
5. रमीलाबेन पुत्री परमार छितू भाई

समस्त जाति भील निवासी कुरला, तहसील भरूच, जिला भरूच, गुजरात जरिये मुख्त्यार स्वामी गगन नययर पुत्र नरेन्द्र कुमार जाति पंजाबी निवासी मकान नम्बर 01, सावित्री नगर, नियर काली मस्जिद, मालवीय नगर, साउथ दिल्ली 110017

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट निर्णय दिनांक 24.06.2024 नामांतरकरण संख्या 1222 ग्राम मौखमपुरा बाबत् निर्णय तहसीलदार मौजमाबाद

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की और से।
2. श्री मुकेश चौधरी विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्टस संख्या 2 लगायत 5 की और से ।
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 08.04.2026

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट निर्णय दिनांक 24.06.2024 नामांतरकरण संख्या 1222 ग्राम

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

मौखमपुरा बाबत् निर्णय तहसीलदार मौजमाबाद इस आशय की पेश की कि न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद ने क्षेत्राधिकार से परे जाकर निर्णय लिया है। अपीलांट ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू के यहां पर उनवानी रामेश्वर बनाम हनुमान प्रस्तुत किया था। जिसका निर्णय अंतिम रूप से दिनांक 14.10.2019 को हो गया था। जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व अपील अधिकारी के यहां पर प्रस्तुत की थी जो दिनांक 15.06.2023 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो गयी थी। न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद ने इजराय प्रार्थना पत्र में पालनार्थ आदेश जारी कर निर्णय दिनांक 14.10.2019 की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 को प्रस्तुत करनी थी। न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा दिनांक 24.06.2024 को नामांतकरण संख्या 1222 भरकर खारिज कर दिया, जिसको खारिज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं रहा है फिर भी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय से किसी प्रकार की बेदना थी तो निर्णय की अपील हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को निर्णय कर पालना में नामांतरकरण भरकर राजस्व रिकार्ड में अमल करना था। अपने अधिकार के विपरीत जाकर उपखण्ड अधिकारी के निर्णय को अपीलेट न्यायालय जो खारिज नहीं कर सका अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद ने अपीलेट न्यायालय का कार्य कर दिया । गैर कानूनी कृत्य कर रिकार्ड व निर्णय के विरूद्ध जाकर पारित निर्णय उपखण्ड अधिकारी के आदेश की पालना नहीं कर आदेश का उल्लघंन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतरकरण संख्या 1222 दिनांक 24.06.2024 के खारिज आदेश को विस्तृत निर्णय में दर्ज नहीं किया है ऐसे में पत्रावली तलब की जाकर दिनांक 24.06.2024 का निर्णय निरस्त फरमाया जावें। रेस्पोडेन्ट ने खाता संख्या 187 के खसरा नम्बर 289 वाके ग्राम मौखमपुरा की आराजी का नामांतरकरण संख्या 1222 को गलत रूप से खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त की जिसकी रिपोर्ट में दर्ज सम्पूर्ण तथ्यों पर माननीय सहायक कलक्टर दूदू द्वारा विस्तृत निर्णय पारित किया जा चुका था फिर पटवारी हल्का की रिपोर्ट न्यायिक निर्णय के सामने क्या मायने रह जाते है बिना किसी अपीलीय न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद ने नामांतरकरण संख्या 1222 खारिज करने में कानूनी भूल की है। निर्णय व आदेश माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर व राजस्व अपील अधिकारी के इजराय आदेश की पालना नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी कृत्य किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद का नामांतरकरण संख्या 1222 वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद के आदेश दिनांक 24.06.2024 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी जारी की गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। रेस्पोडेन्ट की ओर से वकील श्री मुकेश चौधरी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जा.दी. पेश किया। प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 जा.दी. स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 को पक्षकार कायम किया गया।

प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद को श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी मौजमाबाद ने इजराय प्रार्थना पत्र पालनार्थ आदेश जारी कर निर्णय दिनांक 14.10.2019 की पालना की जाकर पालना रिपोर्ट दिनांक 02.04.2024 को प्रस्तुत करनी थी। न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा दिनांक 24.06.2024 को नामांतकरण संख्या 1222 भरकर खारिज कर दिया, जिसको खारिज करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को निर्णय कर पालना में नामांतरकरण भरकर राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड में अमल करना था। आदेश की पालना नहीं कर आदेश का उल्लघंन किया गया है। रेस्पोडेन्ट ने खाता संख्या 187 के खसरा नम्बर 289 वाके ग्राम मौखमपुरा की आराजी का नामांतरकरण संख्या 1222 को गलत रूप से खारिज किया है। अप्रार्थी द्वारा मेरी एक भी आपत्ति का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्णय व आदेश माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर व राजस्व अपील अधिकारी के इजराय आदेश की पालना नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय ने गैर कानूनी कृत्य किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मौजमाबाद का नामांतरकरण संख्या 1222 वाके ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद के आदेश दिनांक 24.06.2024 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वर्ष 2006 में रामेश्वर ने एक दावा उपखण्ड अधिकारी दूदू में 88/2006 दर्ज किया था जो दिनोंक 06.09.2013 को दावा रिस्टोर किया गया था। परमार छितूभाई को पक्षकार कायम किया गया था। बाद में परमार छितू भाई के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। परमार छितू भाई की मृत्यु दिनांक 30.10.2014 को हो गई थी। कोर्ट द्वारा एक मरे हुये व्यक्ति के खिलाफ डिक्री जारी की गई है। वारिसान को रिकॉर्ड पर नहीं लिया गया है। अतः निर्णय दिनांक 14.10.2019 खारिज किए जाने योग्य है व डिक्री प्रारम्भ से ही शून्य है। डिक्री के आधार पर एस.सी.एस.टी. व्यक्ति की जमीन जनरल व्यक्ति के नाम नहीं हो सकती है। पुश्तैनी खातेदारी भूमि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की होने से धारा 42 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप जनरल के व्यक्ति को कोई हक अधिकार नहीं मिलते है। उक्त प्रकरण में वाद माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त मुकाम अजमेर में विचाराधीन है। एस.सी. एस.टी. की जमीन को हडपने की साजिश की जा रही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमायी जावें।

पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में बताया है कि पटवारी जॉच रिपोर्ट नहीं होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(बी) का उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी के अभाव में तथा सर्वर से स्वतः सत्यापित होने के कारण नामांतरकरण खारिज किया गया है।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.06.2024 नामांतरकरण संख्या 1222 ग्राम मौखमपुरा, तहसील मौजमाबाद का नामांतरकरण पटवारी जांच रिपोर्ट नहीं होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लघंन के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी के अभाव में खारिज किया गया है। अतः तहसीलदार के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। .आदेश की एक प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार मौजमाबाद को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 08.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(गोपाल परिहार)
अति0 जिला कलक्टर
दूदू